15/03/2021

पत्रावली पेश हुई वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्राथी का कथन है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 512, 513, 514, 1162 किता 4 रकबा 2.36 है. के 1/9 हिस्से का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। 50 साल पूर्व भूमियों को काश्त की सुविधा के अनुसार विभाजन कर तारबंदी व सींव कायम कर काश्त करते आ रहे है। अप्रार्थीगण मनमर्जी से निर्माण कर रहे है। प्रत्येक इंच पर समान हक है। विभाजन प्रस्ताव अन्य वाद में आ चुका है। अतः विभाजन तक टी.आई जारी रखी जावें. टी. आई खारिज हो जाती है तो दावे का कोई औचित्य ही नही है।

दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी का दावा केवल स्थाई निषेधाज्ञा का है। हमारा दावा सं 43/2019 विभाजन का है। मकान के सामने अपनी भूमि में सुविधा हेतु लेट्रीन का निर्माण किया जा रहा है। मौके की फोटो पेश की है। हमने हमारी भूमि में तारबंदी कर रखी है तारबंदी में ही हमारे मकान बने हुये है। मौके पर पक्षकार अलग अलग काबिज है। सह खातेदार के विरूद्व केवल स्थाई निषेधाज्ञा का वाद काननून चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावें।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षों की सुनी गई एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेज एवं वाद संख्या 43/2019 का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 ग्राम जीलो के अवलोकन से पाया गया कि विवादित खातेदारी खसरा नम्बर 512, 513, 514, 1162 किता 4 रकबा 2.36 है. में 1/9 हिस्से का प्रार्थी हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.04.01 16:44:52 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
सहायक कलेक्टर

Scanned with CamScanner

1/12 का अप्रार्थी सं. 1, हिस्सा 1/60 की प्रतिवादी सं. 2, हिस्सा 1/60 कि प्रतिवादी सं. 3, हिस्सा 1/40 का प्रतिवादी सं. 4, हिस्सा 1/40 का प्रतिवादी सं. 5 व शेष हिस्से के अन्य खातेदार दर्ज रिकार्ड है। यह तथ्य तो प्रार्थी व अप्रार्थीगण दोनो ही पक्ष स्वीकार करते है कि विवादित भूमियों का खातेदारान के मध्य 50 साल पूर्व काश्त की सुविधा के अनुसार मौके पर विभाजन कर तारबन्दी व सींव कायम कर रखी है। तथा विवादित भूमियों को लेकर पक्षकारान एवं अन्य सह खातेदारान के मध्य विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद सं. 43/2019 विचाराधीन है जिसमें प्राथमिक डिक्री जारी होकर विभाजन प्रस्ताव भी प्राप्त हो चुका है। तथा विभाजन प्रस्ताव में ख0न0 514 /2 में वादीगण के पुख्ता मकान बने होना दर्ज है। तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत फोटो ग्राफ से भी प्रथम दृष्टिया यही सिद्व होता है कि अप्रार्थीगण के मकान के सामने जो लेट– बाथ अर्दनिर्मीत अवस्था में है वहां पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण द्वारा जो अपने रिहायशी मकानों के सामने अपनी सुविधा हेतु लेट बाथ का निर्माण किया जा रहा है उस भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त रहा हो ऐसा प्रार्थी प्रथम दुष्टिया साबित करने में असफल रहा है।

जहां तक सुविधा का सन्तुलन का प्रश्न है, प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की दशा में प्रार्थी से अधिक असुविधा अप्रार्थीगण को होगी। क्योंकि अप्रार्थीगण वर्तमान में विवादित आराजी का रिकार्डेड काविज सहखातेदार काश्तकार है तथा कब्जे शुद्वा खातेदारी भूमि का उपयोग उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। अतः प्रकरण की इस स्टेज पर सुविधा के सन्तुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होना नही पाया जाता है।

जहां तक अपूरणीय क्षति का प्रश्न है, प्रार्थना पत्र को स्वीकार नही किये जाने की दशा में प्रार्थी को कोई विधिक हानि नहीं होकर किसी अपूरणीय क्षति के कारित होने की सम्भावना नहीं है, क्योंकि प्रार्थी द्वारा यह कही भी साबित नही किया गया है कि उन्हे इस प्रकार अपूरनीय क्षति होगी, बल्कि अप्रार्थीगण भी काबिज सहखातेदार काश्तकार है भूमि उनके आधिपत्य में है। इस प्रकार प्रार्थी के बजाए अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की अधिक संभावना है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात, तथा दोराने सुनवाई विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क–वितर्कों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया [illegible] सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के [illegible] है। अतः सह खातेदारान के विरुद्ध [illegible] स्वीकार्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.04.01 16:44:52 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर) राज.

Scanned with CamScanner

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर कार्यालय नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2021.04.01 16:44:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner